देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/gbr/01

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शनिवार, 25 जनवरी 2020

बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने से पहले ही तोड़े नियम कायदे

Part-1

जयपुर में वैसे तो बिल्डर नियम तोड़ने के लिए कुख्यात है परन्तु ओके प्लस बिल्डर ने अपने नए आवासीय प्रोजेक्ट आनंदम के निर्माण शुरू होने से पहले ही नियम कायदों को ताक पर रखना शुरू कर दिया है|

ओके प्लस के सीकर रोड पर बन रहे आनंदम प्रोजेक्ट का है मामला|

शहर के एक बड़े बिल्डर ओके प्लस द्वारा सीकर रोड पर मौज महल के सामने आनंदम नामक 13 मंजिला आवासीय प्रोजेक्ट की घोषणा की गयी है|जिसका कुल क्षेत्रफल 2.69 एकड़ है,इस प्रोजेक्ट में 600 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाना है|इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण में कितने गैलन पानी की आवश्यकता होगी|साथ ही इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद 600 परिवारों के पेय जल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी|जो कि अपने आप में एक चुनौती से कम नहीं है|

बिल्डर द्वारा अवैध रूप से खोदा गया बोरवेल

बिना अनुमति डार्क ज़ोन में खोदा बोरवेल

स्थानीय व्यक्तियों की शिकायत पर जब हमारे द्वारा आवासीय प्रोजेक्ट का निरिक्षण किया गया तो बिल्डर की करतूतों का पर्दाफाश होने लगा|बिल्डर द्वारा मौके पर एक ताजा बोरवेल खोदा गया है|स्थानीय लोगो के अनुसार यह बोरिंग अवैध है|जयपुर पहले ही डार्क ज़ोन के रूप में नोटिफाई है और बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति/संस्थान/फर्म को बोरवेल खोदने पर पाबंदी है|परन्तु बिल्डर ने अपने फायदे के लिए और बिल्डिंग के निर्माण में भारी मात्रा में पानी के उपयोग को देखते हुए यह अवैध बोरिंग खोदा है|

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमिटी देती है बोरिंग की अनुमति|

जयपुर के सभी ज़ोन डार्क ज़ोन में आते है,इस वजह से किसी भी व्यक्ति/संस्थान/फर्म को यदि व्यापक जन हित में बोरिंग खोदने की आवश्यकता हो तो उसे स्थानीय जिला कलेक्टर के अधीन बनी हुई कमिटी में आवेदन करना होता है|

इस कमिटी के भी कड़े नियम कायदे होते है|जिसकी पालना करने पर ही बोरिंग की अनुमति दी जा सकती है|

बिल्डर द्वारा मौके पर अवैध रूप से लगवाया गया विशालकाय होर्डिंग

ओके प्लस का आनंदम प्रोजेक्ट

सड़क पर लगाया अवैध होर्डिंग

इतना ही नहीं बिल्डर ने नियम कायदों को ताक पर रखते हुए,ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा सा विशालकाय होर्डिंग भी मौके पर लगा दिया है|गौरतलब है कि इस होर्डिंग के पास ही बिजली के नंगे तारों वाली हाईटेंशन लाईन जा रही है|इस होर्डिंग के समीप ही इन्डियन आयल का पेट्रोल पम्प भी मौजूद है|खुदा ना खास्ता अगर तेज हवाओं/अंधड़ों से यह अवैध होर्डिंग गिर जाता है तो यक़ीनन कोई बड़ा हादसा हो सकता है और जानोमाल की हानि हो सकती है|

अपने रसूखखातों और पैसे के दम पर बिल्डर की मनमानी

अमूमन हर बिल्डर की यही आदत होती है कि वह अपने रसूखखातों और पैसे के दम पर हर जगह अपनी मनमानी करता नजर आता है,जिसका परिणाम यह होता है कि बिल्डर तो अपना माल येन-केन प्रकारेण बेचकर निकल जाता है और उसके बाद आम आदमी और उपभोक्ता परेशान होता रहता है|बिल्डर की यह कारगुजारियां तो मात्र एक नमूना ही है अभी तो कई बड़े कारनामों का खुलासा होना शेष है जिन्हें हम हमारे आगामी रिपोर्ट्स के जरिये उजागर करेंगे|